



कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पंत्राक- २५८ / १२-१ दिनांक, बड़कोट, जुलाई ३/ २०१७।

फोन/फैक्स नं- ०१३७५-२२४२३३
E-Mail dfobarkot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर- ९२०८००८०००

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग-134 (पुराना राष्ट्रीय राज मार्ग 94) के कि०मी० 24.300 से कि०मी० 51.900 तक सिलक्यारा बैण्ड तक सुंरग निर्माण कार्य (चारधाम राज मार्ग विकास परियोजना) हेतु राष्ट्रीय राज मार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिं० देहरादून को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रभाग स्तर से ऑन लाईन पार्ट-२ में भरी जाने वाली सूचना भरने के पश्चात् प्रस्ताव ऑन लाईन आपको प्रेषित किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक- २१-७-२०१७ को प्रश्नगत सुंरग निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जनहित में यह निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक है। जिसकी संस्तुति की जाती है।

भवदीय,


(जे०पी० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

		प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....
7	परियोजना/स्कीम का स्थान	उत्तराखण्ड राज्य के जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग- 134 (पुराना राष्ट्रीय राज मार्ग-94) के कि0मी0 24.300 से कि0मी0 51.900 तक सिलव्यारा दैण्ड तक सूरग निर्माण कार्य (चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना) हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0 देहरादून को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है0 में	14.742 हे0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन - बड़कोट-5ए, बड़कोट-5बी, बड़कोट-6ए, बड़कोट-6बी, बड़कोट-3, बड़कोट-8 कुल क्षेत्रफल-14.742 हे0
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0-2मीटर पर परिणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 360 वृक्ष वाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्याकन सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भू-वैज्ञानिक का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किय गया है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल वन सीमा के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हॉ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हॉ तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	प्रस्तावित क्षेत्र में चीड, बांज, देवदार, पागर तथा वन्य जीवों में गुलदार, कालाभालू, बन्दर, लंगूर, काकड आदि मौजूद हैं परन्तु ये संकटापन्न वन प्रजाति/वन्य जीव में नहीं आते हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हॉ तो तदसम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति के प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो या,	नहीं। इस बावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता ऐसी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा-	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु केवल एक भूखण्ड बिगराड़ी कक्ष-7ए में 7 हे0 वन भूमि का चयन किया गया है। यह क्षेत्र आरक्षित वन के अन्तर्गत है जिसका प्रावकलन मु0 17,73,324.00 रु0

	की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन रीमाओं को दर्शाता हैं।	का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त काटे जाने वाले 360 वृक्षों के ऐवज में 10 गुना वृक्षों का रोपण एवं रख-रखाव हेतु प्रावकलन ₹ 4,55,998.00 का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन ऐजेन्सी-रखन्य वन विभाग समय-उच्चरतर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹ 17,73,324.00 ₹। रिक्त पड़े स्थानों पर उद्यित प्रजातियों का रोपण हेतु ₹ 4,55,998.00 ₹ का प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹ 17,73,324.00 ₹। रिक्त पड़े स्थानों पर उद्यित प्रजातियों का रोपण हेतु ₹ 4,55,998.00 का प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। प्रावकलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है।
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है।
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 97 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्रफल 146.251 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि— (ख) वनेतर भूमि पर..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	क— 292.502 है। ख— —
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर.....	क— 34.27 है। ख— 190.35 है।
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29.07.2017 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक 29.07.2017
स्थान बड़कोट


 (जै०पी० सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।